न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमानम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
170 / 2006	13 / 06 / 2006	10.12.2024

उनवान

शेरसिंह उम्र करीब पुत्र श्री देवीसहाय कौम नाई निवासी नवीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज)

———:: वादीगण

बनाम

लक्ष्मणसिंह पुत्र अल्लसिंह

गुरमानी बाई पत्नी जंगीर सिंह कौम रायसिख निवासीगण नवीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज)

———:: प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी

अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

ण :– श्री हरकेश शर्मा, एडवोकेट

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि आराजी साबिक खसरा सं. 306 0–14बिस्वा वाके ग्राम नवीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर थी, जिसके हाल खसरा सं. /0–5बिस्वा में रकबा 0–4बिस्वा एंव 497/0–15 मे रकबा 0–10 बिस्वा शामिल किया जाकर 14बिस्वा न किये गये है। वास्ते मुलाहिजा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। यह वाद आराजी हाल खसरा नं. रकबा 0–4बिस्वा की बाबत खातेदारी प्राप्त करने की बाबत प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजी लावेगी। विवादित आराजी साबिक खसरा सं. 306 रकबा 0–14बिस्वा का अलोटी काबिज खातेदार तकार प्रतिवादी सं. 1 था जिसने विवादित आराजी साबिक खसरा सं. 306 रकबा 0–14बिस्वा को मिन को बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 07.06.79 को मुन्तकिल कर तब से आज तक मिन वादी विवादित आराजी पर बतोर खरीददार खातेदार शान्तिपर्वूक काबिज चला रहा है। मौके पर वादी का वास्तविक कब्जा है। वास्ते मुलाहिजा नकल बयनामा संलग्न है। विवादित राजी की बाबत साबिक खसरा सं. 306 का जो रकबा 10बिस्वा हाल आराजी खसरा सं. 497 में शामिल या गया। खसरा सं. 497 का इन्द्राज वादी के नाम पर कर दिया गया, किन्तु जो रकबा 496 मे शामिल या गया था,उसका इन्द्राज वादी के नाम नही किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मणसिंह के नाम रहा। बकि बाद बेचान लक्ष्मनसिंह का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार व सम्बन्ध या कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

0–4 बिस्वा की बाबत खातेदारी प्राप्त करने की बाबत प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजी कहलावेगी।

नही रहा है। वादी जो विवादित आराजी पर बाकब्जा खरीददार खातेदार शांतिपर्वूक काविज चला
। प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मणसिंह ने इस गलत अमल की आड मे विवादित आराजी बिना कब्जा बदल वो
जैर बदल के प्रतिवादी सं. 2 को दिनांक 07.03.2006 को मुन्तकिल की है, जिसके आधार पर इंतकाल
36 बहक प्रतिवादी सं. 2 होकर राजस्व रिकोर्ड मे अमल हुआ है, जबकि विवादित आराजी पर प्रतिवादी
को ना तो कोई कब्जा हासिल हुआ है, ना ही कोई हकूक हासिल होते है। प्रतिवादी सं. 2 इस रकवा
र काबिज गैरवास्ता है। प्रतिवादी सं. 2 ने दिनांक 25.04.2006 को मिन वादी के कब्जा काश्त मे
मत पैदा की तथा अपने हक में बयनामा इंतकाल इन्द्राज कराने की बावत कहा व धमकी दी कि वो
जी पर कब्जा करेगी, दीगर लोगो को मुन्तकिल करेगी, जिस पर समस्त रिकोर्ड की नकुलात हॉसिल
भाज बिना देरी बाद पेश किया गया है। मुताबिक बयनामा हाल आराजी खसरा सं. 497 रकबा 15बिस्वा
मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।वादी विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेजर
मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज रहन के वादी के हकूको पर कुठाराघात होता है,
नए मिन वादी, प्रतिवादीगण के नाम का अमल व द्वारा किया गया बेचान व इंतकाल इन्द्राज बहक
दी सं. 2 को हकूक वादी के विरूद्व वातिल वो बेअसर करार दिलाने व स्वयं को खातेदार घोषित
कर अमल कराने का तथा प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। वाद
विनायदावी, विनायमुखासमत दिनांक 25.04.2006 को पैदा हुई है, जिससे वाद अन्दर अवधि पेश है।
प्रार्थना है कि वाद वादी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी किया जावे डिकी इजराय
वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी आराजी हाल खसरा सं. 496 रकबा 0–5बिस्वा
ग्राम नवीनगर तहसील तिजारा का खातेदार है व करार दिया जावे कि इस आराजी की बावत
वादीगण के नाम व उस द्वारा किया गया बयनामा दिनांक 07.03.2006 इंतकाल इन्द्राज बहक प्रतिवादी
2 हकूक वादी के विरूद्व वातिल वो बेअसर है एंव प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाकर वादी के
का अमल कराया जावे। मुताबिक बयनामा हाल आराजी खसरा सं. 497 रकबा 15बिस्वा का मिन वादी
खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से
ी को बेदखल ना करे, ना कब्जा करे, ना ही प्रतिवादी सं. 2 कही दीगर जगह रहन, बय से मुन्तकिल
।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाव दावा
तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण को बाद अवसर जवाब पेश नही करने पर जवाब
वसर समाप्त किया गया।

वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र श्री
रसिंह पुत्र श्री देवीसहाय जाति नाई उम्र करीब 72 वर्ष निवासी ग्राम नबीनकर तहसील तिजारा जिला
लवर एंव शपथ पत्र श्री काशीराम पुत्र श्री प्यारेलाल जाति नाई उम्र करीब 44वर्ष निवासी ग्राम नबीनगर
हसील तिजारा जिला अलवर पेश किये। नकल मिलान क्षेत्रफल किता–2 (प्रदर्श 1), नकल बैयनामा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

0–4 बिस्वा की बाबत खातेदारी प्राप्त करने की

क 07.06.79 (प्रदर्श 2), नकल जमाबन्दी संवत 2038(प्रदर्श 3), नकल जमाबन्दी संवत 2052 (प्रदर्श 4), ा जमाबंदी सम्वत 2062–65 (प्रदर्श 5) जो शामिल पत्रावली की गई।

वकील वादीगण की बहस सुनी की गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात बैयनामा दिनांक 07.06.1979 का अवलोकन किया जिसमें प्रतिवादी 01 द्वारा मिन आराजी खसरा नंबर 306 रकबा 15बिस्वा का बेचान वादी को किया है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि –

वाद वादी डिकी किया जाकर विवादित हाल आराजी खसरा नं. 496 रकबा 0–5बिस्वा ग्राम नवीनगर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा मे प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर, को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश जाते है। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमानम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
170 / 2006	13 / 06 / 2006	10.12.2024

उनवान

शेरसिंह उम्र करीब पुत्र श्री देवीसहाय कौम नाई निवासी नवीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज)

––––:: वादीगण

बनाम

लक्ष्मणसिंह पुत्र अल्डसिंह
गुरमानी बाई पत्नी जंगीर सिंह कौम रायसिख निवासीगण नवीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज)

––––––:: प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी खसरा नं. 496 रकबा 0–5बिस्वा वाके ग्राम नवीनगर तहसील तिजारा जिला तिजारा मे प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर, वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।
आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)